[2021] 1 उम. नि. प. 261

रिज़वान खान

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

[2020 की दांडिक अपील सं. 580]

10 सितम्बर, 2020

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20ख(ii)(ख) – अभियुक्त के कब्जे की मोटरसाइकिल से विनिषिद्ध पदार्थ 'गांजा' की बरामदगी – बरामदगी के सभी साक्षी पुलिस पदधारी होना – बरामदगी पंचनामा के स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो जाना – शासकीय साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि – संधार्यता – जहां भले ही विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी के सभी साक्षी पुलिस पदधारी हों और स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो गए हों, यदि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उनकी विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा करने पर वे विश्वसनीय और भरोसेमंद पाए गए हैं तो मात्र स्वतंत्र साक्षियों द्वारा संपुष्टि न होने के आधार पर ऐसे शासकीय साक्षियों के साक्ष्य को नामंजूर नहीं किया जा सकता है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ।

इस अपील के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 को एक अन्य व्यक्ति के साथ 20 किलो ग्राम विनिषिद्ध स्वापक पदार्थ-गांजा अपने कब्जे में रखने के लिए आरोपित किया गया था । अपीलार्थी के कब्जे से मोटरसाइकिल से 20 किलो ग्राम गांजा बरामद किया गया था । एक शनाख्त पंचनामा बनाया गया था । अभियुक्तों से बरामद गांजा लगभग 20 किलो ग्राम था, जिसमें से नमूना लेने के लिए लगभग 100-100 ग्राम के दो पैकेट बनाए गए थे और इसके पश्चात् वजन का पंचनामा बनाया गया था । नमूने मुहरबंद किए गए थे और अभिग्रहण

सूची में एक प्रविष्टि की गई थी, जिस पर नमूना मुहर की छाप लगाई गई थी । नमूनों को 'बी-1' और 'बी-2' के रूप में चिह्नित किया गया था और शेष अभिगृहीत पदार्थ को 'बी' के रूप में चिह्नित किया गया था । स्वापक पदार्थ के बनाए गए पैकेट कांस्टेबल के माध्यम से परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे । अभिगृहीत किया गया पदार्थ गांजा पाया गया था । अभियुक्तों के विरुद्ध स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन अन्वेषण पूर्ण होने पर अपीलार्थी और एक अन्य-पुखराज को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ख) के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्रित किया गया था तथा एक अन्य सह-अभियुक्त को भी स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था । सभी अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और इसलिए उनका पूर्वोक्त अपराधों के लिए विचारण किया गया था । प्रस्तुत मामले में, इस न्यायालय का सरोकार मूल अभियुक्त सं. 1-रिज़वान खान से है । विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारण के समापन के पश्चात् और अभिलेख पर के साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त ने विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा विशेष न्यायालय के निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य और निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों का परिशीलन करने के पश्चात् इस न्यायालय की यह राय है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 की परीक्षा करके अभियुक्त के विरुद्ध मामले को साबित करने में सफल रहा था । यह सही है कि पूर्वोक्त सभी साक्षी पुलिस पदधारी हैं और दो

स्वतंत्र साक्षी, जो पंचनामा साक्षी थे, पक्षद्रोही हो गए थे । तथापि, पूर्वोक्त सभी पुलिस साक्षी विश्वसनीय और भरोसेमंद पाए गए हैं । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उन सभी की अच्छी तरह से प्रतिपरीक्षा की गई थी । पुलिस साक्षियों और अभियुक्त के बीच कोई दुश्मनी होने का कोई अभिकथन नहीं है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए कथन में ऐसी कोई प्रतिरक्षा नहीं ली गई थी । ऐसी कोई विधि नहीं है कि पुलिस पदधारियों के साक्ष्य को, जब तक कि स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थित न हो, त्यक्त कर दिया जाना चाहिए और/या स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है । यह स्थिर विधि है कि शासकीय साक्षियों के साक्ष्य को स्वतंत्र साक्षी द्वारा संपुष्टि न होने के आधार पर नामंजूर नहीं किया जा सकता है । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है, स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा करना एक अपरिहार्य अपेक्षा नहीं है और ऐसी परीक्षा न करना आवश्यक रूप से अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं है । इसमें ऊपर निर्दिष्ट अधिकथित विधि को प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, इस न्यायालय की यह राय है कि चूंकि पुलिस साक्षी विश्वसनीय और भरोसेमंद पाए गए हैं, इसलिए दोनों निचले न्यायालयों द्वारा पुलिस पदधारियों के अभिसाक्ष्य का अवलंब लेकर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में कोई गलती कारित नहीं की गई थी । (पैरा 8.2)

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 55 के अधीन अनुपालन को भी अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 3 और अभि. सा. 7 की परीक्षा करके सिद्ध और साबित किया गया है । यह सिद्ध और साबित किया गया है कि जो नमूने अभिगृहीत और मुहरबंद किए गए थे, वे न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेजे गए थे । अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि रिज़वान खान से की गई बरामदगी को 'बी-1' और 'बी-2' के रूप में चिन्हित किया गया था और कोषागार का भी यह अभिलेख है कि रिज़वान खान से बरामद किए गए स्वापक पदार्थ 'बी-1' और 'बी-2' के रूप में दर्शाए गए थे । पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन में नमूने की संख्या डालने में कुछ लेखन गलती की गई प्रतीत होती है और इसे 'ए-1' के रूप में वर्णित किया गया था । तथापि, यह सिद्ध और साबित किया गया

है कि रिज़वान खान से बरामद जो नमूने अभिगृहीत और मुहरबंद किए गए थे, वे न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेजे गए थे । अब जहां तक अभियुक्त की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि मोटरसाइकिल (यान) के स्वामित्व को सिद्ध और साबित नहीं किया गया था और/या यान बरामद नहीं किया गया था, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल पर यान में विनिषिद्ध वस्तुओं के साथ पाए गए थे । स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन मामले को साबित करने के लिए, यान के स्वामित्व को सिद्ध और साबित किया जाना अपेक्षित नहीं है । यह सिद्ध और साबित करना पर्याप्त है कि विनिषिद्ध वस्तुएं अभियुक्त से अभियुक्त द्वारा खरीदे गए यान से पाई गई थी । यान के स्वामित्व की बात अतात्विक है जो सिद्ध और साबित किया जाना आवश्यक है, वह विनिषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी और स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन अपराध कारित करने की बात है । इसलिए केवल इस कारण कि यान के स्वामित्व को सिद्ध तथा साबित नहीं किया गया है और/या बाद में यान की बरामदगी नहीं हुई है, विचारण दूषित नहीं हो जाता है, जबकि अभियोजन पक्ष घटनास्थल पर अभियुक्त से विनिषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी को साबित और सिद्ध करने में सफल रहा है । (पैरा 9.1, 9.2 और 11)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2020]	(2020) 2 एस. सी. सी. 563 : **सुरिन्द्र कुमार** बनाम **पंजाब राज्य** ;	8.2
[2018]	(2018) 13 एस. सी. सी. 808 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **प्रदीप कुमार** ;	7.3
[2018]	(2018) 17 एस. सी. सी. 627 : **मोहन लाल** बनाम **पंजाब राज्य** ;	5,5.1,7.4,10
[2015]	(2015) 17 एस. सी. सी. 554 : **बलदेव सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	7.3

[2003] (2003) 8 एस. सी. सी. 726 :
पी. पी. फातिमा बनाम **केरल राज्य** । 7.3

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2020 की दांडिक अपील सं. 580.

2012 की दांडिक अपील सं. 881 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के तारीख 1 अक्तूबर, 2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सुश्री प्राची मिश्रा, अपर महाधिवक्ता, सर्वश्री राजकिशोर चौधरी, शकील अहमद, अनुपम भाटी, नकुल चौधरी, (सुश्री) मालविका राघवन, सुमीर सोढ़ी और (सुश्री) सिमरन अग्रवाल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील मूल अभियुक्त सं. 1 ने 2012 की दांडिक अपील सं. 881 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा तारीख 1 अक्तूबर, 2018 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर फाइल की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इस अपील में अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं. 1 द्वारा फाइल की गई उक्त अपील खारिज कर दी थी और विद्वान् विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी सं. 1 को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(ख)(ii)(ख) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए और उसे पांच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने तथा 25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश देते हुए पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश की पुष्टि की थी ।

3. इस अपील के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 1 और

एक अन्य व्यक्ति पुखराज को 20 किलो ग्राम विनिषिद्ध स्वापक पदार्थ-गांजा अपने कब्जे में रखने के लिए स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ख) के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, अपीलार्थी के कब्जे से मोटरसाइकिल से 20 किलो ग्राम गांजा बरामद किया गया था । अभियुक्तों के शरीर से कोई आपत्तिजनक पदार्थ नहीं पाया गया था । अभियुक्तों को एक सूचना के द्वारा स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के बारे में सूचित किया गया था और उनके इस विधिक अधिकार के बारे में भी बताया गया था कि क्या वे अपनी तलाशी या तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी अन्य अन्वेषक अधिकारी द्वारा करवाना चाहते हैं । यह अनुज्ञा देने के पश्चात् कि तलाशी किसी अन्वेषक अधिकारी द्वारा ली जा सकती है, अभियुक्तों को उनकी मोटरसाइकिल में रखी बोरी खोलने के लिए कहा गया और इस बोरी को खोलने पर गांजे का एक थैला पाया गया, जिसका वजन 20 किलो ग्राम था । अभिग्रहण का पंचनामा बनाया गया । अभियुक्तों से बरामद स्वापक पदार्थ को सूंघकर, जलाकर और चखकर इसका परीक्षण किया गया था और यह गांजा पाया गया था । एक शनाख्त पंचनामा बनाया गया था । अभियुक्तों से बरामद गांजा लगभग 20 किलो ग्राम था, जिसमें से नमूना लेने के लिए लगभग 100-100 ग्राम के दो पैकेट बनाए गए थे और इसके पश्चात् वजन का पंचनामा बनाया गया था । नमूने मुहरबंद किए गए थे और अभिग्रहण सूची में एक प्रविष्टि की गई थी, जिस पर नमूना मुहर की छाप लगाई गई थी । नमूनों को 'बी-1' और 'बी-2' के रूप में चिह्नित किया गया था और शेष अभिगृहीत पदार्थ को 'बी' के रूप में चिह्नित किया गया था । अभियुक्त को अन्य अभियुक्त के साथ गिरफ्तार किया गया था जिसके पास से भी विनिषिद्ध स्वापक पदार्थ पाया गया था । इस प्रक्रम पर यह उल्लेख किया जाना अपेक्षित है कि सहायक उप निरीक्षक जे. के. सेन (अभि. सा. 4) को जानकारी प्राप्त हुई थी और उसके द्वारा इसे देहाती नलिसी तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया था । तथापि, इसके पश्चात् पुलिस निरीक्षक आशीष शुक्ला-अभि. सा. 5 द्वारा सभी आगामी

अन्वेषण किया गया था, जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् मामले का अन्वेषण किया था और साक्षियों के कथन अभिलिखित किए थे । संपूर्ण अन्वेषण की जानकारी विशेष न्यायाधीश, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के साथ-साथ नगरपालिका पुलिस अधिकारी को भी दी गई थी । स्वापक पदार्थ के बनाए गए पैकेट कांस्टेबल के माध्यम से परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे । अभिगृहीत किया गया पदार्थ गांजा पाया गया था । अभियुक्तों के विरुद्ध स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन अन्वेषण पूर्ण होने पर अपीलार्थी और एक अन्य-पुखराज को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ख) के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्रित किया गया था तथा एक अन्य सह-अभियुक्त राकेश कुमार को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था । सभी अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और इसलिए उनका पूर्वोक्त अपराधों के लिए विचारण किया गया था । प्रस्तुत मामले में, हमारा सरोकार मूल अभियुक्त सं. 1-रिज़वान खान से है और इसलिए हम केवल रिज़वान खान के विरुद्ध मामले पर विचार करेंगे ।

3.1 अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध मामले को साबित करने के लिए आठ साक्षियों की परीक्षा की, जिनमें से अभि. सा. 1-भोलू और अभि. सा. 6-कन्हैया स्वतंत्र साक्षी हैं । अभि. सा. 3-सुदीप प्रसाद मिश्रा वह कांस्टेबल है जो न्यायालयिक प्रयोगशाला में नमूने लेकर गया था । अभि. सा. 4 वह पुलिस अधिकारी था, जिसने इत्तिला को लेखबद्ध किया था और उसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित की थी । अभि.सा. 5-आशीष शुक्ला ने जे. के. सेन, अभि. सा. 4 द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् मामले का अन्वेषण किया था । अभियोजन पक्ष ने अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे अभिग्रहण ज्ञापन, न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट आदि भी प्रस्तुत की थी । अभियोजन की ओर से साक्ष्य के समापन के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन भी अभिलिखित किया गया था । अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं. 1 ने अपने पक्षकथन में घटना से पूर्णत: इनकार किया ।

4. विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने विचारण के समापन के पश्चात् और अभिलेख पर के साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर अभियुक्त को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ख) के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे पांच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने तथा 25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

5. विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर इस अपील में अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की । उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से दी गई मुख्य दलीलों में से एक दलील यह थी कि सहायक उप निरीक्षक, जे. के. सेन (अभि. सा. 4), जिसने वस्तुओं को अभिगृहीत किया था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी, ने अन्वेषण में भी भाग लिया था और इसलिए शिकायतकर्ता और अन्वेषक एक ही व्यक्ति होने के कारण, **मोहन लाल** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है । अभियुक्त की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष कई सारी अन्य दलीलें भी दी गई थीं, जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के पैरा 4 में वर्णित हैं ।

5.1 यह पाए जाने पर कि सहायक उप निरीक्षक जे. के. सेन (अभि. सा. 4) ने केवल वस्तुएं अभिगृहीत की थीं और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी तथा उसके पश्चात् उसके द्वारा कोई आगामी अन्वेषण नहीं किया गया था और आगामी अन्वेषण अभि. सा. 5-आशीष शुक्ला द्वारा किया गया था, **मोहन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय लागू नहीं होगा । संबंधित पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों पर विचार करने के पश्चात् उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त सं. 1 द्वारा फाइल की गई उक्त

---

[1] (2018) 17 एस. सी. सी. 627.

अपील खारिज कर दी और विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश की पुष्टि की । इसलिए यह अपील फाइल की गई है ।

6. अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं. 1 की ओर से विद्वान् काउंसेल ने निम्नलिखित दलीलें दीं :–

(i) यह कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया था ;

(ii) यह कि विद्वान् विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने पुलिस अधिकारियों के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके गंभीर गलती की थी ;

(iii) यह कि पंचनामा साक्षियों ने अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन नहीं किया था और जिस व्यक्ति ने गांजा की मात्रा का वजन किया था उसने भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया था ;

(iv) यह कि परीक्षा किए गए 8 साक्षियों में से स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन नहीं किया था और पक्षद्रोही घोषित किए गए थे ;

(v) यह कि अपीलार्थी/अभियुक्त से उसकी मोटरसाइकिल पर से विनिषिद्ध पदार्थ का अभिकथित अभिग्रहण भी संदेहास्पद है, क्योंकि विभिन्न दस्तावेजों पर इस मोटरसाइकिल का संख्यांक एक समान नहीं है । प्रदर्श पी/10 पर इसका संख्यांक 8499 वर्णित है जबकि प्रदर्श पी/16 और पी/37 में इसका संख्यांक 4489 वर्णित है । अपीलार्थी/अभियुक्त से अभिगृहीत किए गए नमूनों को 'बी-1' और 'बी-2' के रूप में चिह्नित किया गया था, जबकि प्रदर्श पी/33 के अनुसार ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र में अभियुक्त से अभिगृहीत वस्तु 'ए-1' दर्शायी गई है और इसलिए यह साबित नहीं किया गया है कि विनिषिद्ध पदार्थ, जो अपीलार्थी/अभियुक्त से अभिगृहीत किया गया है, परीक्षण के लिए भेजा गया था । नमूना सुरक्षित अभिरक्षा में नहीं भेजा गया था और मालखाना रजिस्टर में इसका उल्लेख नहीं है ;

(vi) यह कि मोटरसाइकिल की बरामदगी न होना भी अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है ;

(vii) यह कि मुहर को सुरक्षित अभिरक्षा में नहीं रखा गया था क्योंकि अभि. सा. 7 ने यह कथन किया था कि उसने मालखाना के रजिस्टर में मुहर की कोई प्रविष्टि नहीं की थी ;

(viii) यह कि नमूनों के साथ मुहर का कोई नमूना अपीलार्थी/अभियुक्त से अभिकथित रूप से बरामद विनिषिद्ध पदार्थ के नमूनों पर लगाई गई मुहर के साथ तुलना करने के प्रयोजन के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था ;

(ix) यह कि उन कांस्टेबलों, जो बरामदगी के समय अभि. सा. 4 के साथ गए थे, की परीक्षा न करने से भी अभियोजन के पक्षकथन पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है ।

6.1 अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि इतनी बड़ी संख्या में विसंगतियां हैं, यदि अनुज्ञापक अनुमान के आधार पर उनके संचयी प्रभाव पर विचार किया जाए तो अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा विनिषिद्ध पदार्थ कब्जे में रखने के तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के प्रयास के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न होते हैं ।

6.2 अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने अभी तक उसे दिए गए पांच वर्ष के दंडादेश में से पहले ही तीन वर्ष का दंडादेश भुगत लिया है । यह निवेदन है कि क्योंकि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ख) में कोई न्यूनतम दंडादेश उपबंधित नहीं है और यदि यह न्यायालय गुणागुण के आधार पर अपीलार्थी की ओर से दी गई दलीलों से संतुष्ट नहीं है, तो एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए और पांच वर्ष के दंडादेश को कम करके अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा पहले ही भुगत ली गई अवधि तक किया जाए ।

7. प्रत्यर्थी-छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा इस अपील का जोरदार रूप से विरोध किया गया है । प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर और इस तथ्य पर विचार करने के पश्चात् कि अन्वेषक अधिकारी ने वे सभी पूर्वावधानी बरती थी और उपाय किए थे, जो स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अधीन किए जाने अपेक्षित हैं और दोनों निचले न्यायालयों ने अभियुक्त को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ख) के अधीन अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया था ।

7.1 यह भी दलील दी गई है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष ने संदेह के परे यह सिद्ध और साबित किया है कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया, विशिष्ट रूप से स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42, 50 और 55 में विहित प्रक्रिया का पालन किया गया था । यह दलील दी गई है कि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 की परीक्षा करके पूर्वोक्त उपबंधों के अनुपालन की बात को सिद्ध और साबित किया गया है ।

7.2 यह भी दलील दी गई है कि यद्यपि, प्रस्तुत मामले में स्वतंत्र साक्षी (पंचनामा साक्षी) पक्षद्रोही हो गए थे, तो भी इससे अभियोजन के पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है । यह दलील दी गई है कि अभियोजन पक्ष विश्वसनीय साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 की परीक्षा करके अभियुक्त के विरुद्ध मामले को साबित करने में सफल रहा था । यह दलील दी गई है कि केवल इस कारण कि स्वतंत्र साक्षी, जिन्होंने अभिग्रहण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे, पक्षद्रोही हो गए थे, अन्य साक्षियों के साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता है भले ही वे पुलिस पदधारी हों । यह दलील दी गई कि केवल स्वतंत्र साक्षियों के पक्षद्रोही हो जाने के आधार पर अभियोजन के संपूर्ण पक्षकथन की उपेक्षा नहीं की जा सकती है ।

7.3 आगे यह भी दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन के पक्षकथन का पूरी तरह से समर्थन किया है और वे विश्वसनीय पाए गए हैं और उनके और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच किसी दुश्मनी का प्रश्न सामने नहीं आया है । **पी. पी. फातिमा** बनाम **केरल राज्य**[1], **बलदेव सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] और **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **प्रदीप कुमार**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया गया है ।

7.4 अब जहां तक अभियुक्त की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि शिकायतकर्ता और अन्वेषक अधिकारी एक ही व्यक्ति था और इसलिए विचारण दूषित हो गया है, यह दलील दी गई है कि प्रस्तुत मामले में उक्त प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है क्योंकि प्रस्तुत मामले में अन्वेषण पुलिस निरीक्षक आशीष शुक्ला, अभि. सा. 5 द्वारा किया गया था और श्री जे. के. सेन ने केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित की थी । यह दलील दी गई है कि अन्यथा भी **मुकेश सिंह** बनाम **राज्य (स्वापक शाखा)** [विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) डायरी सं. 39528/ 2018, जिसका विनिश्चय तारीख 31 अगस्त, 2020 को किया गया] वाले मामले में इस न्यायालय के हाल ही के विनिश्चय को दृष्टिगत करते हुए **मोहन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय एक सही विधि नहीं है ।

7.5 यह भी दलील दी गई है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष अभि. सा. 4 (जे. के. सेन) सहित अभि. सा. 3 (सुदीप प्रसाद मिश्रा), अभि. सा. 5 (आशीष शुक्ला), अभि. सा. 7 (नागेन्द्र सिंह), अभि. सा. 8 (ईश्वर प्रसाद वर्मा) के संपुष्टिकारी कथनों के साथ-साथ न्यायालयिक रिपोर्ट पर आधारित है । यह दलील दी गई है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन का पक्षकथन एकमात्र रूप से अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य पर निर्भर नहीं है, जैसी की अभियुक्त की ओर से दलील दी गई है ।

---

[1] (2003) 8 एस. सी. सी. 726.

[2] (2015) 17 एस. सी. सी. 554.

[3] (2018) 13 एस. सी. सी. 808.

7.6 अब जहां तक अभियुक्त की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि चूंकि पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन में नमूने को 'ए-1' के रूप में लिखा गया है, जबकि अपीलार्थी-रिज़वान खान से की गई बरामदगी को 'बी-1' और 'बी-2' के रूप में चिन्हित किया गया था और इसलिए तात्विक विरोधाभास हैं, अत: यह संदेहास्पद है कि क्या नमूने, जो अपीलार्थी-अभियुक्त से अभिगृहीत किए गए थे, न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे या नहीं, जोरदार रूप से यह दलील दी गई है कि वास्तव में पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन में नमूने की संख्या डालने में एक लेखन गलती थी । यह दलील दी गई है कि अन्यथा अभिलेख से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि रिज़वान खान से की गई बरामदगी को 'बी-1' और 'बी-2' के रूप में चिन्हित किया गया था और कोषागार अभिलेख से भी यह सिद्ध होता है कि रिज़वान खान से बरामद किए गए स्वापक पदार्थ 'बी-1' और 'बी-2' थे और उक्त नमूने न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे ।

7.7 यह भी दलील दी गई है कि अभियोजन पक्ष के मोटरसाइकिल (यान) के स्वामित्व को साबित करने में असफल रहने से और/या बाद में मोटरसाइकिल को बरामद करने में असफल रहने से अभियोजन का पक्षकथन दूषित नहीं हो जाता है क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल पर यान में विनिषिद्ध वस्तुओं के साथ पाए गए थे । यह दलील दी गई है कि इसलिए उनके विरुद्ध स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन अपराध का किया जाना साबित होता है । यह दलील दी गई है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां यान के स्वामित्व का अवधारण किया जाना हो अपितु स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन अपराध का किया जाना अभिनिश्चित किया जाना था ।

7.8 उपरोक्त दलीलें देने और इस न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चयों का अवलंब लेने के उपरांत प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया है ।

8. हमने संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना ।

8.1 हमने अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य की समीक्षा की और पुनर्मूल्यांकन किया । हमने विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों, जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, पर भी विचार किया है ।

8.2 अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य और निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों का परिशीलन करने के पश्चात् हमारी यह राय है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 की परीक्षा करके अभियुक्त के विरुद्ध मामले को साबित करने में सफल रहा था । यह सही है कि पूर्वोक्त सभी साक्षी पुलिस पदधारी हैं और दो स्वतंत्र साक्षी, जो पंचनामा साक्षी थे, पक्षद्रोही हो गए थे । तथापि, पूर्वोक्त सभी पुलिस साक्षी विश्वसनीय और भरोसेमंद पाए गए हैं । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उन सभी की अच्छी तरह से प्रतिपरीक्षा की गई थी । पुलिस साक्षियों और अभियुक्त के बीच कोई दुश्मनी होने का कोई अभिकथन नहीं है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए कथन में ऐसी कोई प्रतिरक्षा नहीं ली गई थी । ऐसी कोई विधि नहीं है कि पुलिस पदधारियों के साक्ष्य को, जब तक कि स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थित न हो, त्यक्त कर दिया जाना चाहिए और/या स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है । यह स्थिर विधि है कि शासकीय साक्षियों के साक्ष्य को स्वतंत्र साक्षी द्वारा संपुष्टि न होने के आधार पर नामंजूर नहीं किया जा सकता है । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है, स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा करना एक अपरिहार्य अपेक्षा नहीं है और ऐसी परीक्षा न करना आवश्यक रूप से अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं है । [**प्रदीप कुमार** (उपर्युक्त) वाला मामल देखें] । हाल ही के **सुरिन्द्र कुमार** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में के विनिश्चय में स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन अपराध पर विचार करते हुए स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न करने की लगभग इसी प्रकार की दलील पर इस न्यायालय

[1] (2020) 2 एस. सी. सी. 563.

ने पैरा 15 और 16 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया था और अभिनिर्धारित किया था :-

> "15. प्रत्यर्थी राज्य की ओर से काउंसेल द्वारा अवलंब लिए गए जरनैल सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(2011) 3 एस. सी. सी. 521] वाले मामले में के निर्णय से भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन होता है । पूर्वोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि केवल इस कारण कि अभियोजन पक्ष ने किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की थी, आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया गया था । शासकीय साक्षियों के साक्ष्य को केवल उनकी शासकीय प्रास्थिति के कारण अविश्वसनीय या अभरोसेमंद नहीं माना जा सकता है ।
>
> 16. राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली **बनाम** सुनील [(2011) 1 एस. सी. सी. 652] वाले मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था -
>
> > यह एक अप्रचलित धारणा है कि पुलिस अधिकारी के कार्यों को आरंभ में शंका के साथ देखा जाना चाहिए । अब पुलिस द्वारा किए गए कार्यों और तैयार किए गए दस्तावेजों पर कम से कम आरंभ में ही विश्वास करने का समय आ गया है । किसी भी स्थिति में, न्यायालय इस उपधारणा के साथ अग्रसर नहीं हो सकता है कि पुलिस के अभिलेख अविश्वसनीय हैं । विधि की प्रतिपादना के रूप में, यह उपधारणा इसके विपरीत होनी चाहिए । यह कि पुलिस के शासकीय कृत्य नियमित रूप से किए गए हैं, उपधारणा का एक प्रज्ञावान सिद्धांत है और विधानमंडल द्वारा भी मान्यता दी गई है ।"

पुलिस पदधारियों/पुलिस साक्षियों के साक्ष्य पर इस न्यायालय द्वारा इसमें ऊपर निर्दिष्ट अधिकथित विधि को प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हमारी यह राय है कि चूंकि पुलिस साक्षी विश्वसनीय

और भरोसेमंद पाए गए हैं, इसलिए दोनों निचले न्यायालयों द्वारा पुलिस पदधारियों के अभिसाक्ष्य का अवलंब लेकर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में कोई गलती कारित नहीं की गई थी ।

9. अब जहां तक स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 के अधीन विहित प्रक्रिया के अननुपालन की बाबत अभियुक्त की ओर से दी गई दलील का संबंध है, अभि. सा. 8 (ईश्वर प्रसाद वर्मा) के अभिसाक्ष्य पर विचार करते हुए स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने की बात को सिद्ध और साबित किया गया है ।

9.1 इसी प्रकार, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 55 के अधीन अनुपालन को भी अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 3 और अभि. सा. 7 की परीक्षा करके सिद्ध और साबित किया गया है ।

9.2 यह सिद्ध और साबित किया गया है कि जो नमूने अभिगृहीत और मुहरबंद किए गए थे, वे न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेजे गए थे । अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि रिज़वान खान से की गई बरामदगी को 'बी-1' और 'बी-2' के रूप में चिन्हित किया गया था और कोषागार का भी यह अभिलेख है कि रिज़वान खान से बरामद किए गए स्वापक पदार्थ 'बी-1' और 'बी-2' के रूप में दर्शाए गए थे । पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन में नमूने की संख्या डालने में कुछ लेखन गलती की गई प्रतीत होती है और इसे 'ए-1' के रूप में वर्णित किया गया था । तथापि, यह सिद्ध और साबित किया गया है कि रिज़वान खान से बरामद जो नमूने अभिगृहीत और मुहरबंद किए गए थे, वे न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेजे गए थे । पूर्वोक्त पहलू पर विद्वान् विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा 25 और 26 में विचार किया गया था ।

10. अब जहां तक अभियुक्त की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि चूंकि अभि. सा. 4-जे. के. सेन जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित की थी, वह स्वयं अन्वेषक अधिकारी था और इसलिए

विचारण दूषित हो जाता है, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि आरंभ में अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने उपरोक्त दलील **मोहन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेकर दी गई थी । तथापि, **मुकेश सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में **मोहन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को उलटते हुए इस न्यायालय के हाल ही के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने उपरोक्त आधार पर जोर नहीं दिया है । अन्यथा भी, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रस्तुत मामले में पूर्वोक्त विवाद्यक उद्भूत नहीं होता है, क्योंकि श्री जे. के. सेन, अभि. सा. 4 द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित किए जाने के पश्चात् मामले का अन्वेषण आशीष शुक्ला, अभि. सा. 5 द्वारा किया गया था । इसलिए तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता और अन्वेषक अधिकारी दोनों अलग-अलग थे ।

11. अब जहां तक अभियुक्त की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि मोटरसाइकिल (यान) के स्वामित्व को सिद्ध और साबित नहीं किया गया था और/या यान बरामद नहीं किया गया था, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्ति घटनास्थल पर यान में विनिषिद्ध वस्तुओं के साथ पाए गए थे । स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन मामले को साबित करने के लिए, यान के स्वामित्व को सिद्ध और साबित किया जाना अपेक्षित नहीं है । यह सिद्ध और साबित करना पर्याप्त है कि विनिषिद्ध वस्तुएं अभियुक्त से अभियुक्त द्वारा खरीदे गए यान से पाई गई थी । यान के स्वामित्व की बात अतात्विक है और जो सिद्ध और साबित किया जाना आवश्यक है, वह विनिषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी और स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन अपराध कारित करने की बात है । इसलिए केवल इस कारण कि यान के स्वामित्व को सिद्ध तथा साबित नहीं किया गया है और/या बाद में यान की बरामदगी नहीं हुई है, विचारण दूषित नहीं हो जाता है, जबकि अभियोजन पक्ष घटनास्थल पर अभियुक्त से विनिषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी को साबित और सिद्ध करने में सफल रहा है ।

12. अब जहां तक उदार दृष्टिकोण अपनाने और विद्वान् विशेष न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, से कमतर दंड अधिरोपित करने के लिए अभियुक्त की ओर से किए गए निवेदन का संबंध है, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्य और प्रयोजन तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रश्नगत अपराध के लिए अधिनियम में उपबंधित दंडादेश ऐसी अवधि का कठोर कारावास है जो जुर्माने सहित दस वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना एक लाख रुपए तक हो सकता है और न्यायालय ने केवल पांच वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया है, इसलिए उदार दृष्टिकोण अपनाने के नियोजन को नामंजूर किया जाता है क्योंकि विद्वान् विशेष न्यायालय ने स्वयं एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है ।

13. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, हमारा यह दृढ़ मत है कि दोनों निचले न्यायालयों ने अभियुक्त को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ख) के अधीन अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया था । हम विद्वान् विशेष न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्षों तथा दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित की गई दोषसिद्धि से पूर्णतया सहमत हैं । हम स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ख) के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । इन परिस्थितियों में, यह अपील असफल होती है और इसे खारिज किया जाना चाहिए तथा तद्नुसार यह अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.